रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012024-251621
CG-DL-E-27012024-251621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 2024/माघ 7, 1945
No. 59] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 2024/MAGHA 7, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

फा. सं. एचक्यू-13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचक्यू/सी-13751(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (छ), (ट) और (ठ), धारा 28 की उप-धारा (3) और धारा 29 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (सूचना की सहभाजिता) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, "आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए, जहां कहीं वे आते हैं, "आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल विनियमों में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

‘(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।'।

4. मूल विनियमों में, विनियम 3 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(5) प्राधिकरण, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 29 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जांच के अनुसरण में, आधार नंबर और उससे संबंधित सूचना का लोप या उसे निष्क्रिय करने के लिए, उक्त विनियमों के विनियम 29 के उप-विनियम (1क) के अनुसार, उसके कब्जे या नियंत्रण में आधार नंबर धारक की सूचना, जिसमें सीआईडीआर में संग्रहित सूचना भी है, तक पहुंच दे सकता है या उसका उपयोग कर सकता है या उसको प्रकट कर सकता है।"।

5. मूल विनियमों में, विनियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"12. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात को करना.—(1) ऐसा कोई कार्य या बात जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है, प्राधिकरण के ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जिसे प्राधिकरण ने संबंधित शक्ति या कृत्य, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत, सामान्य या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के अंतर्गत एक सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या बात उक्त उप-विनियम में निर्दिष्ट प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं, अवधारित कर सकेगा।"।

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./716/2023-24]

नोट : मूल विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14 सितंबर, 2016 में अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 5), दिनांक 12 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2024

F. No. HQ-13073/1/2024-AUTH-II-HQ/C-13751(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54, read with sub-section (1) and clauses (g), (k) and (l) of sub-section (2) of section 23, sub-section (3) of section 28 and sub-section (2) of section 29 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act,2016,the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Sharing of Information) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations),for the words, brackets and figures “the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016” wherever they occur, the words, brackets and figures “the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021” shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(f) “section” means a section of the Act.’.

4. In the principal regulations, in regulation 3, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(5) The Authority may, for omitting or deactivating an Aadhaar number and information relating thereto, pursuant to an inquiry as referred to in sub-regulation (1) of regulation 29 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, give access to or use or disclose information of the Aadhaar number holder, in its possession or control, including information stored in the CIDR, in accordance with sub-regulation (1A) of regulation 29 of the said regulations.”.

5. In the principal regulations, after regulation 11, the following regulation shall be inserted, namely:—

"**12. Doing of act or thing related to delegated power or function.—**(1) Any act or thing that is to be or may be done by the Authority under these regulations may also be done by any Member or officer of the Authority or any other person to whom the Authority has delegated the related power or function by general or special order in writing, under section 51 of the Act.

(2) The Authority may determine whether or not an act or thing done by a Member, officer or other person under sub-regulation (1) is related to a power or function delegated as referred to in the said sub-regulation.".

SANJEEV YADAV, Director

[ADVT.-III/4/Exty./716/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/ Legal/UIDAI (No. 5 of 2016) dated the 12th September, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.27 14:15:21 +05'30'